# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

## आदेश पत्रक

## भू–हदबंदी अपील वाद संख्या –75/2019

## सुभाष दास वगै० बनाम् सुषमा देवी एवं राज्य

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख |
|---|---|---|
| 25.11.2022 | **आदेश**<br><br>इस वाद की कार्रवाई अपीलार्थी सुभाष दास, पिता–भुलु दास, निवास ग्राम–न्यू कॉलोनी भुरकुण्डा, पो०–भुरकुण्डा, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ वो० कपिलदेव सिंह, पिता–स्व० कारीनाथ सिंह, निवास ग्राम–घुटुवा, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–हदबंदी वाद संख्या–01/2014–15 सुषमा देवी बनाम् सुभाष दास वगै० में दिनांक–31.05.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S 30 of Bihar Land Reform (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus) Act-1961 के तहत् अपील वाद दायर पर प्रारंभ की गई। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया गया एवं द्वितीय पक्ष को सूचना निर्गत किया गया। प्रश्नगत भूमि मौजा–हेहल थाना–पतरातू, थाना नं०–58 के खाता सं०–18 प्लॉट नं०–624 रकवा–0.23 ए० मध्ये रकवा–0.12 ए० भूमि से संबंधित है।<br><br>उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना उनके द्वारा समर्पित आवेदन कारण पृच्छा एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया।<br><br>उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन कारण पृच्छा एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–हेहल, के खाता सं०–18 प्लॉट नं०–624 रकवा–0.23 मघ्ये रकवा–0.12 ए० भूमि अपीलार्थी के द्वारा बिक्रेता कपिलदेव सिंह पिता–स्व० कारीनाथ सिंह से केवाला संख्या–947, दिनांक–15.05.2004 से क्रय किया गया है। अपीलार्थी का कहना है कि खाता संख्या–18 प्लॉट संख्या–624 कृषि योग्य भूमि नहीं है इसलिए प्रश्नगत भूमि पर बिहार भूमि सुधार अधिनियम–1961 की धारा–16(3) लागु नही होता है। जबकी विपक्षी का कहना है कि मेरे द्वारा पूर्व में ही केवाला सं०–1108/1089/2013 दिनांक–12.04.2013 से क्रय किया गया जो प्लॉट नं०–624 का निकटवर्ती भूमि है एवं इसी प्लॉट का ही हिस्सा है इसलिए प्रश्नगत भूमि क्रय करने पहला दावा मेरा बनता है। अपीलार्थी ना तो सह–हिस्सेदार है और ना ही एरीया रैयत है। विपक्षी को Pre-emption का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा दिनांक–31.05.2018 को पारित आदेश को न्याय संगत बताते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत करने का अनुरोध किया है। | |

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ ने विपक्षी को प्रश्नगत भूमि के पूर्व में रैयत माना है, साथ ही साथ प्रश्नगत भूमि की किस्म को टाँड़ माना है, जो कृषि योग्य भूमि है, एवं Bihar Land Reform (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus) Act-1961 of U/S 16 (3) के तहत् विपक्षी को अपीलार्थी के दावा को सबल माना है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा पूर्व में भी केवाला सं०–1108/1089/2013 दिनांक–12.04.2013 से खाता संख्या–18, प्लॉट संख्या–624, रकवा–0.05 ए० भूमि क्रय किया गया है। जो प्रश्नगत प्लॉट का अंश भाग है। इस प्रकार Bihar Land Ceiling Act-1961 U/S 16(3){Fixation of Ceiling Area and Acquisiion at Surplus Land} के तहत् विपक्षी का प्रश्नगत भूमि पर Right of Pre-emption का दावा बनता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–हदबंदी वाद सं०–01/2014–15 सुषमा देवी बनाम् सुभाष दास वगै० में दिनांक–31.05.2018 को Bihar Ceiling Act-1961 U/S 16(3){Fixation of Ceiling Area and Acquisiion at Surplus Land} के तहत् पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है एवं अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

माधवी मिश्रा
25.11.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
25.11.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2022.12.26 14:17:13 +05:30
Location: 192.168.0.31